रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20, 2004/कार्तिक 29, 1926

No. 273] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20, 2004/KARTIKA 29, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2004

फा. सं. 8-2/2003-नीति (ईएस).—भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 10 फरवरी, 2004 के संकल्प सं. 8-2/2003-नीति (ईएस) में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित विचारार्थ विषयों तथा संरचना के साथ आयोग को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

* देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु एक व्यापक मध्यावधिक व्यापक रणनीति तैयार करना ताकि समय के अनुसार सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके ।

* कृषि-पारिस्थितिकीय और कृषि जलवायुवीय दृष्टिकोण पर आधारित देश की मुख्य कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थिरता और सततता और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों के उपयोग की पद्धतियों का प्रस्ताव देना ।

* प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के बीच सहक्रिया (सहयोग) स्थापित करना तथा विविधीकरण, मण्डी,मौसम, ऋण सुविधाओं तथा ई-वाणिज्य, प्रशिक्षण और मण्डी सुधारों से संबंधित सूचना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार की संभावना बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना ।

* खेती कार्य में शिक्षित युवकों को आकर्षित करने तथा उन्हें वहां बनाए रखने के सुझाव देना तथा इस उद्देश्य हेतु सिफारिश करना ; सस्य पालन, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी (अंतर्देशीय और समुद्री), कृषि वानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण और संयुक्त विपणन अवसरंचना के प्रौद्योगिकीय उन्नयन की पद्धतियां सुझाना।

* कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने, छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की ओर कृषि ऋण का प्रवाह सतत रूप से बढ़ाने, कृषि विकास को प्रेरित करने ------ के लिए तैयार किए गए व्यापक नीतिगत सुधारों का सुझाव देना जिससे आर्थिक प्रगति हो ताकि ग्रामीण परिवारों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन के लिए अवसर मिल सकें।

* शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए, और साथ की पर्वतीय व तटीय क्षेत्रों के किसानों के लिए शुष्क भूमि खेती हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार करना ताकि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले कृषक समुदायों की आजीविका सुरक्षा को इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी सुरक्षा के साथ जोड़ा जा सके । इस संदर्भ में दलहन,तिलहन, मक्का, कपास, पनधारा आदि जैसे सभी चल रहे प्रौद्योगिकी मिशनों की समीक्षा करना और अर्ध्वाधर रूप से संरचित कार्यक्रमों के क्षैतिज समेकन के संवर्धन की पद्धतियों की सिफारिश करना । ऋण-संबद्ध बीमा स्कीमों का भी सुझाव देना जो संसाधन विहीन कृषि परिवारों को असहनीय जोखिमों से संरक्षण प्रदान कर सकती हैं । इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड को सुदृढ़ बनाने तथा सरल व कारगर बनाने की पद्धतियों का सुझाव देना ।

* कृषि जिन्सों की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना ताकि उन्हें विस्तार मशीनरी को पुनः सक्रिय करने तथा औजारों से पुनः सज्जित करके किसानों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों (फ्रंटियर साइंसेज) के अनुप्रयोग और कोडेक्स एलीमेण्टेरियस स्टैण्डर्ड्स, स्वास्थयकर और पादप-स्वास्थय उपायों के माध्यम से उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके । अंतरराष्ट्रीय मूल्य तेजी से गिरने की स्थिति में किसानों को आयातों से पर्याप्त संरक्षण मुहैया कराने की विधियां भी सुझाना ।

* कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढाने तथा प्रस्तावित भूमि स्वामित्व के अधिकार देने पर विचार करते हुए महिलाओं के लिए ऋण, जानकारी, दक्षता, प्रौद्योगिकीय और विपणन में सशक्तिकरण हेतु उपायों की सिफारिश करना

* निर्वाचित स्थानीय निकायों के पुरूष तथा महिला सदस्यों को अधिकार प्रदान करने की विधियों का सुझाव देना ताकि वे सिंचाई जल प्राथमिकता पर ध्यान देने के साथ-साथ सतत कृषि हेतु भूमि,जल,कृषि जैव विविधता तथा वातावरण जैसे पारिस्थितिकी आधारों को संरक्षित करने और उनमें सुधार लाने में अपनी प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकें ।

* उपर्युक्त से संबंधित किसी अन्य मुद्दे या सरकार द्वारा आयोग को विशेष रूप से भेजे गये मुद्दे पर विचार करना ।

संरचना

2. पुनर्गठित आयोग की संरचना इस प्रकार होगी:-

अध्यक्ष

प्रो० एम०एस० स्वामीनाथन (केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री स्तर के)

पूर्णकालिक सदस्य

डॉ० राम बदन सिंह	भारत सरकार के सचिव स्तर के
श्री वाई.सी.नन्दा	भारत सरकार के सचिव स्तर के

अंश कालिक सदस्य

डॉ० आर० एल० पितले
श्री जगदीश प्रधान, नोपाडा
सुश्री चंदा निम्बकर
श्री अतुल कुमार अन्जान
(ये सदस्य अवैतनिक हैसियत से काम करेंगे तथा कोई वेतन आहरित नहीं करेगें ।)

सदस्य सचिव

श्री अतुल सिन्हा,आई.ए.एस(सेवा निवृत्त) (भारत सरकार के सचिव स्तर के)

3. प्रो० स्वामीनाथन पूर्ण रूप से अवैतनिक हैसियत से और बिना किसी वित्तीय प्रतिपूर्ति के काम करेंगे । वे चेन्नई में ही रहेंगे लेकिन चल रहे कार्य को पूरा करने के लिए वे एक समय में एक सप्ताह से दस दिनों तक के लिए दिल्ली (एन सी एफ मुख्यालय) का दौरा करेंगे तथा उन्हें उनकी यात्रा तथा आवास खर्चों की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुसार की जाएगी ।

4. आयोग अगले तीन महीनों में समय के अनुसार सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु एक मध्यकालिक नीति प्रस्तुत करेगा तथा अन्य विचारार्थ विषयों पर यथा शीघ्र और हर हाल में 13.10.2006 को या इससे पहले अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा । आयोग यदि उचित समझे या आयोग से ऐसी अपेक्षा की गयी हो, किसी विचारार्थ विषय पर अंतरिम रिपोर्ट (रिपोर्टें) प्रस्तुत कर सकता है ।

5. दिनांक 10.2.2004 के संकल्प में अधिसूचित अन्य शर्तें विचारार्थ विषय अपरिवर्तित रहेंगे ।

6. भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता देंगे ।

के. डी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th November, 2004

F. No. 8-2/2003-Policy (ES).—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 8-2/2003-Policy (ES) dated 10th February, 2004 regarding setting up of National Commission on Farmers, the Government of India have decided to reconstitute the Commission with the following Terms of Reference and Composition.

- Work out a comprehensive medium-term strategy for food and nutrition security in the country in order to move towards the goal of universal food security over time.

- Propose methods of enhancing the productivity, profitability, stability and sustainability of the major farming systems of the country based on an agro-ecological and agro-climatic approach and the harnessing of frontier technologies.

- Bring about synergy between technology and public policy and recommend measures for enhancing income and employment potential in rural areas through diversification, application of appropriate technology including IT for information on market, weather, credit facilities and e-commerce, training and market reforms.

- Suggest measures to attract and retain educated youth in farming and recommend for this purpose; methods of technological upgrading of crop husbandry, horticulture, animal husbandry, fisheries (inland and marine), agro-forestry and agro-processing and associated marketing infrastructure.

- Suggest comprehensive policy reforms designed to enhance investment in agri-research, substantially increase flow of rural credit to farmers including small and marginal, triggering agricultural growth led economic progress, which can lead to opportunities for a healthy and productive life to rural families.

- Formulate special programmes for dryland farming for farmers in the arid and semi-arid regions, as well as for farmers in hilly and coastal areas in order to link the livelihood security of the farming communities living in such areas with the ecological security of such regions. Review in this context, all ongoing Technology Missions like those relating to pulses, oilseeds, maize, cotton, watershed etc. and recommend methods of promoting horizontal integration of vertically structured programmes. Also suggest credit-linked insurance schemes which can protect resource poor farm families from unbearable risks. Further, suggest methods of strengthening and streamlining the National Horticulture Development Board.

- ❖ Suggest measures for enhancing the quality and cost competitiveness of farm commodities so as to make them globally competitive through providing necessary facilities and application of frontier sciences and promote quality literacy for codex alimentarius standard, sanitary and phyto-sanitary measures among farmers through reorienting and retooling extension machinery. Also suggest methods of providing adequate protection to farmers from imports when international prices fall sharply.

- ❖ Recommend measures for the credit, knowledge, skill, technological and marketing empowerment of women, taking into consideration the increasing feminization of agriculture and the proposed conferment of right to land ownership.

- ❖ Suggest methods of empowering male and female members of elected local bodies to discharge effectively their role in conserving and improving the ecological foundations for sustainable agriculture like land, water, agro-biodiversity and the atmosphere with priority attention to irrigation water.

- ❖ Consider any other issue, which is relevant to the above or is specially referred to the Commission by Government.

COMPOSITION

2. The composition of the Reconstituted Commission will be as under: -

Chairman

Prof. M.S. Swaminathan (In the rank of Union Cabinet Minister)

Full-time Members

Dr. Ram Badan Singh } In the rank of Secretary to the Govt. of India

Shri Y.C. Nanda } In the rank of Secretary to the Govt. of India

Part-time Members

Dr. R.L. Pitale
Shri Jagdish Pradhan, Naupada
Ms. Chanda Nimbkar
Shri Atul Kumar Anjan

(These Members would be in an honorary capacity and would not draw any salary).

Member Secretary

Shri Atul Sinha } In the rank of Secretary to Govt. of India
IAS (Retd) }

3. Prof. Swaminathan would work entirely in an honorary capacity and without any financial compensation. He would remain in Chennai but would visit Delhi (NCF Headquarters) for a week to ten days at a time to complete the work on hand and shall be reimbursed for his travel and accommodation expenses as per his entitlement.

4. The Commission will submit a medium term policy for food and nutrition security in the country in order to move towards the goal of universal food security overtime within the next three months and will submit its recommendations on other terms of reference as soon as practicable and in any case on or before 13-10-2006. The Commission may submit interim report (s) on any of the terms of reference, it may deem fit or expected of it.

5. Other terms and conditions notified in the Resolution dated 10-2-2004 would remain unaltered.

6. The Government of India trust that the State Governments/administrations of Union Territories will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

K. D. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.